बोर्ड की विभिन्न समितियों के विचारार्थ विषय

क. निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना, आन्तरिक नियन्त्रणों की समीक्षा करना तथा यह सत्यापित करना कि आन्तरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त पद्धतियां हैं और यह प्रभावी रूप से कार्य कर रही है तथा आन्तरिक लेखा-परीक्षा कार्यों के लिए मार्गनिर्देश व दिशानिर्देश देना। निगमित लेखांकन व सूचना देने की पद्धतियों की समीक्षा करना एवं लेखांकन नीति में परिवर्तन पर विचार करना। बोर्ड में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व कम्पनी के तिमाही/छमाही एवं अन्तिम वित्तीय लेखों की प्रबन्धन के साथ पुनरीक्षा करना।

2. कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन पर नजर रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त व विश्वसनीय हैं।

3. वार्षिक वित्तीय विवरण बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रबन्धन से विशेष संदर्भ में पुनरीक्षा करनाः

   क. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले।

   ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों तथा इनके कारण।

   ग. प्रबन्धन द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित प्राक्कलनों सहित महत्वपूर्ण लेखांकन प्रविष्टियां।

   घ. लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   ड. वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में सूचीकरण और अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

   च. प्रारूप लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं, यदि कोई हों।

   छ. किन्हीं सम्बन्धित पक्षकार संव्यवहारों का प्रकटन।

4. सांविधिक व आन्तरिक लेखा-परीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतियों की

पर्याप्तता के बारे में प्रबन्धन के साथ पुनरीक्षा करना ।

5. आन्तरिक लेखा-परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की पुनरीक्षा करना जिसमें आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, विभाग में स्टाफ संख्या तथा विभाग के प्रमुख शासकीय की वरिष्ठता, सूचना देने की संरचना, आन्तरिक लेखा-परीक्षा का दायरा तथा आवधिकता शामिल है । समिति किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष तथा उन पर अनुवर्तन के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षकों से चर्चा कर सकती है ।

6. ऐसे मामले जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या किसी महत्वपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के असफल होने का संदेह हो, में आन्तरिक लेखा-परीक्षकों/लेखा-परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी आन्तरिक जांच के निष्कर्षों की पुनरीक्षा करना तथा इस बारे में बोर्ड को सूचित करना ।

7. लेखा-परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व, सांविधिक लेखा-परीक्षकों से लेखा-परीक्षा के स्वरूप व कार्य-क्षेत्र के बारे में विचार-विमर्श करना तथा लेखा-परीक्षा के बाद चिन्ताजनक किसी विषय का पता लगाने के लिए विचार-विमर्श करना । स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों के साथ लेखा-परीक्षा प्रयासों का समन्वय, जिससे कि सभी लेखा-परीक्षा संसाधनों का प्रभावी प्रयोग, निरर्थक प्रयासों में कमी तथा सभी क्षेत्रों की लेखा-परीक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

8. समिति जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश की अदायगी न होने के मामले में) तथा लेनदारों को अदायगी में महत्वपूर्ण चूक के मामलों में चूक होने के कारणों पर भी विचार कर सकती है ।

9. समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा अनिवार्यतः करेगीः

क) प्रबन्धन के साथ वित्तीय स्थिति व परिचालनों के परिणामों पर विचार-विमर्श तथा विश्लेषण ।

ख) प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्षकार संव्यवहार विवरणी ।

ग) सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी प्रबन्धन पत्रों/आन्तरिक नियंत्रण कमियों सम्बन्धी पत्र ।

घ) आन्तरिक नियंत्रण कमियों से सम्बन्धित आन्तरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों और

ड.) लेखा-परीक्षा समितियों की समीक्षा के अधीन मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, उसको हटाने तथा पारिश्रमिक की शर्तें ।

च) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणियों का सत्यापन/उद्घोषणा ।

छ) विचलन सम्बन्धी विवरणीः

क. विनियम 32(1) के अनुसार में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत अनुवर्तन एजेंसी की रिपोर्ट सहित, यदि कोई हो, विचलन की तिमाही विवरणी ।

ख. विनियम 32(7) के अनुसार पेश दस्तावेज/प्रविवरण/सूचना में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रयोग की गई निधियों से सम्बन्धी वार्षिक विवरणी ।

10. कम्पनी के लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की अवधि की सिफारिश ।

11. लेखा-परीक्षकों की स्वतन्त्रता तथा कार्य-निष्पादन एवं लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की पुनरीक्षा तथा अनुवर्तन करना।

12. वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना ।

13. सम्बन्धित पक्षकारों से कम्पनी के लेन-देन में किसी अनुवर्ती आशोधन का अनुमोदन ।

14. अन्तर निगमित ऋणों और निवेशों की जांच ।

15. कम्पनी की वचनबद्धताओं तथा परिसम्पत्तियों का जहां कहीं आवश्यक हो मूल्यांकन करना ।

16. आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबन्धन पद्धतियों का मूल्यांकन ।

17. निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, आधिकारिक निर्गम, अधिमानतः निर्गम आदि) सार्वजनिक प्रस्तावों की मार्फत जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग की विवरणी, पेश दस्तावेज/प्रविवरण/सूचनाओं में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रयोग की गई निधियों से सम्बन्धी विवरणी की प्रबन्धन के साथ समीक्षा करना और अनुवर्तन एजेंसी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सार्वजनिक या आधिकारिक निर्गम की राशि के प्रयोग का अनुवर्तन और बोर्ड को इस मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए उचित सिफारिशें देना।

18. आन्तरिक लेखा-परीक्षकों के परामर्श से आन्तरिक लेखा-परीक्षा के संचालन के लिए कार्य-क्षेत्र, कार्य-प्रणाली, उनकी आवधिकता एवं इसके लिए पद्धतियां बनाना ।

19. उपयुक्त अथवा अपवादात्मक मामलों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे ही पहुंच बनाने की व्यवस्था करने सहित सतर्कता प्रणाली का निरीक्षण करना । सतर्कता प्रणाली/व्हीसल ब्लोअर प्रणाली के कार्य की भी समीक्षा करना ।

20. अभ्यर्थी की अर्हताओं, अनुभव और पृष्ठभूमि के मूल्यांकन के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक या अन्य कोई व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों का प्रमुख हो या वह कार्य देख रहा हो) की नियुक्ति का अनुमोदन करना ।

21. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन ।

22. आन्तरिक पद्धतियों और कार्य-विधियों की सूचना पद्धति लेखा-परीक्षा दो वर्षों में कम से कम एक बार सुनिश्चित करना जिससे कि कम्पनी के सम्मुख परिचालनात्मक जोखिमों के मूल्यांकन किया जा सके ।

23. आन्तरिक लेखा-परीक्षकों और या लेखा-परीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण त्रुटियों पर विचार-विमर्श और उनका अनुवर्तन ।

24. लेखा-परीक्षा समिति की शक्तियां:
    i. इसके विचारार्थ विषय के अन्तर्गत किसी क्रियाकलाप की जांच।

    ii. किसी कर्मचारी से या उसके बारे में सूचना की मांग।

    iii. बाह्य विधिक या अन्य व्यावसायिक परामर्श प्राप्त करना।

    iv. यदि आवश्यक समझा जाए तो उचित बाह्य विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

    v. व्हीसल ब्लोअर को सुरक्षा।

25. सीएण्डएजी लेखा-परीक्षा की लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा ।

26. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर किए गए अनुवर्ती कार्यों की समीक्षा ।

27. स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों और निदेशक बोर्ड के बीच संप्रेषण के साधन उपलब्ध कराना ।

28. कम्पनी में सभी सम्बन्धित पक्षकार संव्यवहारों की समीक्षा । इस उद्देश्य के लिए लेखा-परीक्षा समिति एक सदस्य को पदनामित कर सकती है जो सम्बन्धित पक्षकार संव्यवहारों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ।

29. स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों और प्रबन्धन के साथ विचार-विमर्श तथा निम्नलिखित की समीक्षाः

क. कम्प्यूटरयुक्त सूचना पद्धति नियंत्रण और सुरक्षा सहित पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण, और
ख. प्रबन्धन की प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों और आन्तरिक लेखा-परीक्षकों की सिफारिशें तथा सम्बन्धित निष्कर्ष ।

30. प्रबन्धन, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों और स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा निम्नलिखित की समीक्षाः

क. पिछली लेखा-परीक्षा की सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण जांच परिणाम ।
ख. क्रियाकलापों के क्षेत्र सम्बन्धी बाधाएं या आवश्यक सूचना तक पहुंच सहित लेखा-परीक्षा के दौरान आई कोई कठिनाईयां।

31. 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित, आईएफसीआई द्वारा सहयोगी कम्पनी में 100 करोड़ रुपए से अधिक या सहयोगी कम्पनी के परिसम्पत्ति आकार का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से सम्बन्धित ऋणों और/या अग्रिमों के प्रयोग की समीक्षा करना ।

32. वित्तीय वर्ष में एक बार सेबी (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना ।

33。 धोखाधड़ी की समीक्षा व इसकी रिपोर्ट करना

ख. <u>निदेशकों की नामांकन व पारिश्रमिक समिति</u>

1. ऐसे व्यक्तियों का पता लगाना जो निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों को छोड़कर) बनने की योग्यता रखते हैं और जिन्हें निर्धारित मानदण्ड के अनुसार विशिष्ट प्रबन्धन में नियुक्त किया जा सकता है तथा उनकी नियुक्ति तथा उन्हें हटाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ।

"विशिष्ट प्रबन्धन" से अभिप्राय कम्पनी के ऐसे कार्मिकों से है जो इसके महत्वपूर्ण प्रबन्धन समूह के

सदस्य हैं जिनमें बोर्ड के निदेशक शामिल नहीं हैं तथा जिनमें कार्यपालक निदेशक से नीचे एक स्तर के प्रबन्धन के सभी सदस्य शामिल हैं जिनमें कार्यकारी प्रमुख भी शामिल हैं ।

2. समिति प्रत्येक निदेशक के कार्य-निष्पादन का भी मूल्यांकन करेगी ।

3. समिति निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों तथा निदेशक की स्वतन्त्रता का निर्धारण करने का मापदण्ड बनाएगी और निदेशकों, केएमपी तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से सम्बन्धित पालिसी को बोर्ड को सिफारिश करेगी ।

4. समिति निदेशकों, मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में एक पालिसी भी बनाएगी तथा बोर्ड को इसकी सिफारिश करेगी ।

5. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड बनाएगी ।

6. बोर्ड में विविधता के लिए पालिसी बनाएगी ।

7. निर्धारित सीमाओं के अंदर कार्यपालकों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों में वितरण के लिए वार्षिक बोनस/कार्य-निष्पादन वेतन और पालिसी का निर्धारण करना ।

8. स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अवधि को बढ़ाना या जारी रखने का निर्णय करना ।

9. करियर प्रबन्धन और उत्तराधिकार योजना सहित मानव संसाधन मामलों से सम्बन्धी पालिसी बनाना ।

10. वरिष्ठ प्रबन्धन को अदा किए जाने वाले सभी पारिश्रमिक, किसी भी रूप में, के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ।

11. समिति बोर्ड, इसकी समितियों और अलग-अलग निदेशकों के कार्य-निष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करेगी जो या तो बोर्ड, नामांकन व पारिश्रमिक समिति द्वारा या किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी ।

ग. <u>निदेशकों की स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति</u>

1. कम्पनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतें, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अन्तरण, वार्षिक रिपोर्टों का प्राप्त

न होना, घोषित लाभांशों का प्राप्त न होना, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों का जारी करना, सामान्य बैठकें आदि शामिल हैं, का निपटान ।

2. शेयरधारकों द्वारा वोट देने के अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा ।

3. रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा स्वीकार्य सेवा मानकों की अनुपालन की समीक्षा ।

4. अदावाकृत लाभांशों की मात्रा में कमी के लिए कम्पनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों तथा प्रयासों की समीक्षा तथा कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों, वार्षिक रिपोर्टों, सांविधिक सूचनाओं की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना ।

घ. <u>निदेशकों की निगमित सामाजिक दायित्व समिति</u>

1. निगमित सामाजिक दायित्व नीति, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कम्पनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूचना देना, इसे बनाना तथा बोर्ड को इसकी सिफारिश करना ।

2. निगमित सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों पर किए गए व्ययों की राशि की सिफारिश करना ।

3. कम्पनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति का समय-समय पर अनुवर्तन करना ।

4. कम्पनी द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/कम्पनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के लिए एक पारदर्शी अनुवर्तन प्रणाली आरम्भ करना ।

ड. <u>कारोबार दायित्व समिति</u>

कारोबार दायित्व के कार्यान्वयन को देखना ।

च. <u>निदेशकों की जोखिम व परिसम्पत्ति देयता प्रबन्धन समिति</u>

1. संस्थान के मुख्य जोखिमों का पता लगाना और उनका अनुवर्तन करना ।

2. समेकित जोखिम प्रबन्धन के लिए नीति तथा कार्य-नीति बनाना ।

3. इस बात कि संतुष्टि करना कि सभी नीतियां व प्रक्रियाएं ऐसे जोखिमों का प्रबन्धन करने के लिए हैं जिसे संस्थान प्रकट करता है, जिसमें क्रेडिट, मार्किट, परिचालनात्मक तथा प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल हैं ।

4. संस्थान की कारोबार कार्य-नीतियों का महत्वपूर्ण रूप से निर्धारण करना तथा जोखिम संभावना से योजना बनाना व बोर्ड को इसकी उपयुक्त रूप से सूचना देना ।

5. जोखिम मापन प्रणालियों का निर्णय लेना, जोखिम प्रबन्धन की सीमाएं निर्धारित करना और निर्धारित सीमाओं की तुलना में वास्तविक स्थितियों की आवधिक रूप से समीक्षा करना ।

6. स्वयं की इस बात से संतुष्टि करना कि संस्थान में अपवादात्मक रिपोर्टिंग ढांचा है ।

7. जोखिम प्रबन्धन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा करना तथा बाजार परिदृय के अनुरूप अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।

8. सामान्य उधार नीति, ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, खजाना व निवेश नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियों की समीक्षा करना तथा इनके अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश करना ।

9. साइबर सुरक्षा तथा इससे जुड़े जोखिमों की समीक्षा करना ।

10. बोर्ड से अनुमोदित समेकित जोखिम प्रबन्धन नीति के अधीन शामिल अन्य कोई मामला ।

छ. जानबूझकर चूककर्ताओं व घोखाधड़ी मामलों सम्बन्धी समिति की समीक्षा

आरबीआई परिपत्र के अनुरूप, समीक्षा समिति प्रथम समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी और यह आदेश समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही अन्तिम माने जाएंगे ।

इसके अतिरिक्त, समिति कम्पनी के विरुद्ध घोखाधड़ी सम्बन्धी मामलों तथा विद्यमान समिति सदस्यों के साथ जानबूझ कर चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए अपना मूल आदेश देगी ।

ज. असहयोग करने वाले ऋणियों तथा वसूली समीक्षा समिति तथा निदेशकों की अलाभकारी परिसम्पत्ति प्रबन्धन समिति

1. मानक खातों तथा अलाभकारी परिसम्पत्तियों के खातों दोनों की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना ।

2. सभी खातों में वसूली प्रयासों का अनुवर्तन करना ।

3. यह सुनिश्चित करना कि सभी खातों का अलाभकारी परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकरण के लिए उपयुक्त रूप से निर्धारण किया जाता है ।

4. अलाभकारी परिसम्पत्तियों/निवेशों की आवधिक समीक्षा करना ।

5. एसएमए खातों की समीक्षा करना ।

झ. **<u>निदेशकों की कार्यकारी समिति</u>**

समिति के विचारार्थ विषय आईएफसीआई में प्रचलित अनुमोदित सामान्य उधार नीति के अनुसार है । इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित विचारार्थ विषय का भाग होगाः

1. वित्तपोषित संस्थाओं के मामलों की समीक्षा करना और/अथवा विलयन/समामेलन/नियंत्रक हित में परिवर्तन/खण्डों का प्रबन्धन/समेकित करना/एकमुश्त निपटान/देय राशियों का बातचीत द्वारा निपटान/ऋणों का इक्विटी में संपरिवर्तन/पुनर्स्थापना पैकेज/पुनर्संरचना/बकाया मूलधन राशि सहित सभी सम्बन्धितों को पुनर्स्थापन पैकेज तथा इसके परिणामस्वरूप देय राशियों को न चुकाने का अनुमोदन करना।

2. एनसीएलटी मामलों की स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करना ।

3. प्रबन्धन द्वारा ऐसे अन्य सभी प्रबन्धन सूचना प्रणाली/आवधिक रिपोर्टों पर विचार करना, जिनमें कोई नीतिगत मामले शामिल नहीं हैं ।

क) निम्नलिखित आवधिक रिपोर्टों पर विचार करना एवं उन्हें नोट करना/ उनका अनुमोदन करना:

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक द्वारा अध्यक्षता की गई समिति द्वारा वित्तीय सहायता/निपटानों/पुनर्संरचना की मंजरी के अनुरूप रियायतें/ आशोधन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ।
- तकनीकी बट्टे खाते -100 प्रतिशत प्रावधान किए गए, 100 करोड़ रुपए से कम -मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित ।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऋण वापस मांगने तथा मुकदमा दायर करने

के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन ।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित परिसम्पत्तियों की बिक्री ।
- विशेष योजनाओं की पुनरीक्षा ।
- अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना ।

ख) प्रबन्धन द्वारा ऐसी अन्य सभी प्रबन्धन सूचना प्रणाली/आवधिक रिपोर्टों पर विचार करना, जिनमें कोई नीतिगत मामले शामिल नहीं हैं ।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित ऋणों की समय-पूर्व पुनः अदायगी - छमाही रिपोर्ट।

5. केन्द्रीय/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रमों की गारंटियों के मद्दे संस्थानों द्वारा प्रदत्त सावधि ऋणों - चूक दर्शाने वाला विवरण।

6. आस्थगित अदायगी गारंटी/विदेशी ऋण गारंटी के अन्तर्गत आकस्मिक देयताओं की पुनरीक्षा ।

7. विचलन सहित (सीआईसी की शक्तियों के अंदर) सीआईसी द्वारा सभी मंजूरियों के लिए कार्यकारी समिति को नियंत्रण रिपोर्ट ।

8. उक्त के अतिरिक्त, अन्य कोई मामला, जो शक्तियों के प्रत्यायोजन का एक भाग है और जैसा कि निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

ञ. निदेशकों की ई-गर्वेनेंस समिति

1. कम्पनी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सभी सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों के विकास व कार्यान्वयन तथा आर्किटेक्चर, सिक्युरिटी, डिस्टाटर रिकवरी सहित प्रक्रियाओं का विकास करने के लिए दिशानिर्देश देना ।

2. संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यों को सरल बनाने के लिए पर्यवेक्षण करना ।

3. प्रभावी तथा लागत प्रभावी सूचना प्रौसेसिंग तथा संचार प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए लागू दीर्घकालिक नीतिगत योजनाओं का नियोजन करना ।

4. सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी पद्धतियों की समीक्षा करना, उनकी सूचना देना तथा उनमें सुधार की सिफारिश करना ।

5. विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर समग्र हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण, संस्थापन, अनुवर्तन, रखरखाव, विकास तथा सुविधाओं का निरीक्षण करना ।

6. कारोबार परिचालनों को सुचारु बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समाधान ढूंढना ।

7. आईटी नीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है;

8. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि आईटी से व्यवसाय मे वृद्धि प्राप्त हो;

9. सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता हो और यह बजट स्वीकार्य हो;

10. रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना;

11. एनबीएफसी की वृद्धि को बनाए रखने और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।

****